मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 70 | जनवरी, 2025 | अंक 01 | कुल पृष्ठ 6

भारत कृषक समाज सभी किसानों, अपने सदस्यों, समर्थकों और पाठकों को नववर्ष २०२५ की हार्दिक शुभकामनाएँ देता है

– अजय वीर जाखड़, अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

किसान सरकार से क्यों नाखुश हैं?

अजय वीर जाखड़

सरकार के तीसरे महत्वपूर्ण कार्यकाल के छह महीने; कृषि क्षेत्र को लेकर कोई बड़ी घोषणा (शुक्र है) नहीं की गई है और न ही नीतिगत सुधार (दुख की बात है) की कोई घोषणा की गई है। यह अच्छे इरादे या साहस की कमी के कारण नहीं है; इस सरकार में दोनों प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि यह केवल विचारों के लिए जूझ रहा है कि क्या करना है। उदाहरण के लिए भारत की पोषण सुरक्षा के लिए बायोटेक फसलों को अनुमति देने या प्राकृतिक खेती पर कम वित्त पोषित बयानबाजी को लेकर एक दशक से चली आ रही दुविधा को लें। विरोधाभासों और भ्रम के कारण वैज्ञानिक समुदाय और किसान परेशान हैं।

अच्छे नेतृत्व की कुंजी सिर्फ यह चुनना नहीं है कि क्या हल करना है, बल्कि उन समस्याओं को भी चुनना है जिन्हें आप हल करना चाहते हैं। सरकार खाद्य मुद्रास्फीति को कम रखने की पहचान करने में राजनीतिक रूप से सही रही है। ऐसा करने में, उसने भारत की 40 प्रतिशत आबादी के हितों के बजाय चुनावी विवेक को चुना है; जो कृषि पर निर्भर हैं। यह गलत प्राथमिकता दो कारकों के कारण मौजूद है। एक, अर्थशास्त्र जो अड़ियल बना हुआ है, बदलाव से इनकार कर रहा है, भले ही इसने प्रगति की पुनर्कल्पना की कोई वैकल्पिक अवधारणा नहीं दी है। दो, हर कुछ महीनों में राष्ट्रीय या राज्य चुनावों का सामना करने वाले राजनीतिक दलों की अदूरदर्शी अल्पकालिकता। यदि इतिहास का कोई सबक है तो वह यह है कि हम उससे कुछ नहीं सीखते।

आज, कम लोग असहज प्रश्न पूछ रहे हैं या विपरीत आख्यानों की वकालत कर रहे हैं, जिसके बिना, सरकार दर्पण में देख रही है और प्रतिबिंब को पसंद कर रही है। लेकिन, किसी बात पर विश्वास करने की चाहत उसे सच नहीं बनाती। जब व्यक्तिगत विचार पक्षपाती मीडिया द्वारा आकार दिए जाते हैं, तो सरकार के लिए आम लोगों के जीवन के अनुभवों और आर्थिक वास्तविकताओं से दूरी बनाना स्वाभाविक है। मनुष्यों में कथाओं के प्रति अत्यधिक भूख होती है और भाजपा, जो एजेंडा तय करती थी और समाचार कवरेज तय करती थी, हाल ही में लेखक के अवरोध का सामना कर रही है। इसकी हर तरह से चिंता होनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्रियों की पहुंच न होने के कारण वे अपने पूर्ववर्तियों की गलतियों को करने से हतोत्साहित होने, शासन और वितरण में सुधार के बारे में लीक से हटकर विचार प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो जाते हैं। इससे एक और अनुमान लगाया जा सकता है कि मंत्रियों के कार्यालयों में यह भावना मौजूद है कि किसान संगठनों के अनुरोधों को नजरअंदाज करना मंत्री का विशेषाधिकार है। यह नहीं है। यह किसान संगठनों का कर्म हो सकता है लेकिन ऐसा करना उनका धर्म नहीं है। कई अच्छी पहलों के बावजूद सरकार कृषक समुदाय का दिल नहीं जीत पाई है और इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है।

उत्सुकतापूर्वक सुनने से भी नीतिगत विफलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, बहुप्रचारित और विज्ञापित नैनो-यूरिया को लें। किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. विफलता की घोर स्वीकारोक्ति में, निर्माताओं ने नैनो-यूरिया में नाइट्रोजन सामग्री को आश्चर्यजनक रूप से 400 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा वित्त पोषित कृषि विश्वविद्यालय अभी भी इसका समर्थन करने से इनकार करते हैं। यह नैनो-यूरिया के उपयोग से उत्पादकता बढ़ने के झूठे दावों के लिए निर्माताओं के खिलाफ वर्ग कार्रवाई के मुकदमे का

उपयुक्त मामला प्रतीत होता है। इसी तरह, चुनाव के बाद; विज्ञापनों की धूम आईसीएआर ने कृषि उपज और पोषण को बढ़ावा देने के लिए 109 जलवायु-लचीले बीज किस्मों को जारी किया। वैज्ञानिकों ने मुझे बताया कि यदि पाँच को भी व्यावसायिक रूप से अपनाया गया तो उन्हें आश्चर्य होगा। ड्रोन दीदी की तरह, ये कहानियाँ भी अच्छी लगती हैं, 2002 के इंडिया शाइनिंग अभियान की तरह। प्रभावित करना तो दूर, इनमें से कोई भी प्रभाव भी नहीं छोड़ेगा। जो बात प्रभाव छोड़ती है वह है डीएपी उर्वरक की कमी या किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरकों के बैग प्राप्त करने के लिए नैनो-यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजनीतिक आकाओं को विश्वास के इस अपवित्र उल्लंघन का संज्ञान नहीं हो सकता।

राजनेताओं को यह महसूस करना चाहिए कि समाधानों पर सत्ता केंद्र के करीबी लोगों, अंतरराष्ट्रीय परामर्श फर्मों या व्यवसायों के लिए एनजीओ का एकाधिकार नहीं है। अनुभव सिखाता है कि ज्यादातर विचार उन लोगों के पास होते हैं जो सरकार में या उसके साथ काम नहीं करते। मुख्य चुनौती यह है कि मेज पर उनकी राय कैसे रखी जाए। जमीनी स्तर से प्रतिक्रिया या नए विचार न मिलने से त्रुटिपूर्ण नीतियां और वितरण की कमी होती है और परिणामस्वरूप 'विश्वास की कमी' होती है। "विश्वास" सबसे महत्वपूर्ण शर्त है; चाहे वह फसल विविधीकरण के लिए हो, फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए हो, कृषि सुधारों को लागू करने के लिए हो, चुनाव जीतने के लिए हो या किसी अन्य सफल परिवर्तन या नीति को अपनाने के लिए हो। विश्वास बनाने में लंबा समय लगता है और विश्वास पैदा करने के मूल्य या आवश्यक समय को कम आंकने की प्रवृत्ति होती है। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि जैसे कृषि वस्तुओं की कमी अल्पकालिक होती है, वैसे ही "विश्वास" भी अल्पकालिक होता है। जिस प्रकार वस्तुओं की अधिकता लंबे समय तक बनी रहती है, उसी प्रकार "अविश्वास" भी लंबे समय तक बना रहता है। अगर सरकार चाहती है कि किसान उस पर भरोसा करें तो उसे किसानों पर भरोसा करना शुरू करना होगा और याद रखना होगा कि वह केवल वही काट सकती है जो उसने बोया है।

(अध्यक्ष की राय 22 नवंबर 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित)

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

असली समस्या सरकार नहीं, नौकरशाही है

अजय वीर जाखड़

मुझसे अक्सर पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल (6 अप्रैल, 2017-20 सितंबर, 2021) के बारे में पूछा जाता है। शुरुआत से ही शुरुआत कैसे की जा सकती है? महत्वपूर्ण, या इसे भाग्यवादी, दिन पर, पंजाब सरकार के वित्त आयुक्त (राजस्व) और सचिव और आयोग के सदस्य-सचिव ने मुझे मेरे पूर्ववर्ती की कुर्सी पर बैठाया और चले गए। मैंने खुद को एक बहुत बड़े कार्यालय में पाया और मुझे इस बात का कोई संकेत भी नहीं मिला कि मेरा काम क्या है।

हैरान लेकिन निडर होकर मैंने तुरंत कृषि विभाग को एक पत्र भेजा, जिसमें राज्य में कीटनाशक, बीज और उर्वरक के नमूने की विफलताओं के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया। डेटा - जिसे निजी क्षेत्र में इकट्ठा करने में कुछ घंटे लगते - को प्राप्त करने में दो साल की कड़ी मेहनत और अनुनय-विनय की ज़रूरत पड़ी। आयोग को उसके काम में सहायता करने के लिए विभाग से एक अधिकारी

को लाने में ही छह महीने लग गए। सरकार में कभी काम न करने के कारण, इस खोज ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया; असली समस्या सरकार नहीं, बल्कि नौकरशाही है। यह सबक नंबर 1 था।

संक्षेप में कहें तो आयोग को कीटनाशक, उर्वरक और बीज के नमूने फेल होने के ऐसे मामले मिले, जहां 10 साल से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था या समय बीत चुका था। परिणामस्वरूप, लगभग 150 अधिकारियों को आरोप-पत्र दिए गए। आयोग ने सुनिश्चित किया कि किसी को दंडित न किया जाए, लेकिन उसके बाद अनुपालन शत-प्रतिशत हो। मुझे बताया गया कि अधिकारियों ने आंदोलन करने की धमकी दी थी।

कुछ समय बाद यही हुआ जब हमने सरकार से दूध, फल और सब्जियों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें एफसीआई के लिए अनाज की खरीद के लिए आढ़तियों द्वारा प्राप्त शुल्क में 20 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। आढ़ती अपनी ताकत दिखाते हुए आए और दिखावटी मुद्राएं और दिखावा किया। मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि अगर आढ़ती मेरे दरवाजे पर आकर आंदोलन करें तो आयोग की छवि अच्छी होगी। वे जितने समझदार थे, उन्होंने सरकार को मेरी सलाह को नजरअंदाज करने के लिए आसानी से मना लिया।

यह समझने के लिए कि सिस्टम कैसे काम करता है, अलग-अलग विभागों को बुलाकर मुझे उनके कामकाज और मुद्दों के बारे में जानकारी दी जानी थी। इसके बजाय, आयोग ने सभी विभागों का दौरा करने और अपने-अपने कार्यालयों में अधिकारियों और जूनियर कर्मचारियों से मिलने का फैसला किया। यह एक ऐसा अनुभव था, जो चौंका देने वाला था, ऐसा अनुभव, जैसे किसी के सिर पर बल्ले से चोट लग जाती है। इससे अगली जागृति हुई; "अयोग्य शासन" कमरे में मौजूद हाथी है जो प्रगति को पीछे धकेलता है। नतीजतन, कृषि नीति के मसौदे में पहला अध्याय 'शासन' पर है। यह किसी भी तरह की पहली नीति थी, जिसमें शासन को एक समस्या और समाधान के रूप में पहचाना गया। यह कई लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन समय के साथ, मेरा रुख सही साबित हुआ।

आयोग की भूमिका सलाहकार की है। फिर भी, मुझे खेद है; अपने किए पर नहीं बल्कि उन निर्णयों पर जो मैंने नहीं लिए या जिन्हें लेने से मुझे रोका गया। एक लेख में सभी कार्यों को गिनाना कठिन है, लेकिन कुछ कानून जो बनाए गए, वे पथप्रदर्शक थे। मुझे संदेह था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ट्रक यूनियनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत होंगे, लेकिन उनके प्रशासनिक कौशल के कारण ट्रक यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया! हालांकि वे बठिंडा जैसी जगहों पर काम करते रहे।

यह तीसरी सीख थी; अपनी क्षमता से अधिक काम करने से कभी न डरें। आर्थिक रूप से बेहतर किसानों को बिजली सब्सिडी के नियमन के मामले में, मुख्यमंत्री को उनके कार्यालय द्वारा राजनीतिक रूप से विवादास्पद रास्ता न अपनाने के लिए राजी किया गया, भले ही किसान यूनियनों ने इस स्थिति से सहमति जताई थी।

मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि किसान यूनियन के नेता नीति निर्माण में आयोग के प्रयासों के समर्थक थे। पंजाब राज्य के किसानों की नीति का मसौदा तैयार करने से हमें चौथा मूल्यवान सबक मिला; सकारात्मक नीतिगत परिणाम प्राप्त करने के लिए एक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया एक बुनियादी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हमने सुनिश्चित किया कि पंजाब में ग्लाइफोसेट नामक शाकनाशी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा करने वाला यह एकमात्र राज्य है।

अन्य उल्लेखनीय जीतें भी थीं। 2002 में, सरकार ने लुधियाना के पास लाधोवाल में एक व्यापारिक समूह को

कृषि को बढ़ावा देने के लिए मात्र 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 300 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की थी। यह पता चलने पर कि भूमि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, आयोग ने इस विषय का अध्ययन किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर समूह ने बिना किसी मुकदमे के राज्य को भूमि वापस कर दी। यह निजी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहला कदम हो सकता है। यह पाँचवाँ सबक था: सफलता तभी संभव है जब कोई व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करे जैसा कि आयोग ने किया; व्यक्तिगत रूप से नहीं।

अबोहर में अपने खेत से प्राप्त मेरे अपने अनुभवों ने आयोग के साथ मेरे काम में मेरी मदद की। कृषि महाविद्यालय के छात्र अपने डिग्री कोर्स के हिस्से के रूप में हमारे खेत में प्रशिक्षण लेते हैं। उनके व्यावहारिक ज्ञान में कई पहलुओं की कमी रह जाती है। आयोग में शामिल होने के बाद, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा विनियमित मेडिकल कॉलेजों के विपरीत, कृषि महाविद्यालय विनियमित नहीं थे। कृषि एक राज्य का विषय है और राज्य के पास ऐसा कोई कानून नहीं था। आयोग के सुझाव पर, राज्य सरकार ने पंजाब राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 2017 लागू किया।

राज्य के 112 कॉलेजों में से पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन (PSCAE) ने छात्रों से बीएससी (कृषि) की पढ़ाई कराने वाले उन कॉलेजों में दाखिला लेने से बचने को कहा जो अधिनियम के तहत शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे। इसने उन संस्थानों की सूची भी जारी की जो निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन करते हैं। सूची में केवल 15 नाम थे। यह अलग बात है कि इसके बाद एक भी कॉलेज ने किसान आयोग को कॉलेज के छात्रों से बातचीत करने के लिए आमंत्रित नहीं किया!

खेती के अनुभव ने मुझे ग्रीनहाउस को व्यावहारिक रूप से संचालित करने की कठिनाई के बारे में सिखाया था। हमने सरकारी एजेंसियों द्वारा सब्सिडी प्राप्त प्रत्येक ग्रीनहाउस को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। आयोग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस तीन से चार वर्षों के भीतर काम करना बंद कर देते हैं। चड्ढा डिस्टिलरी रिसाव से ब्यास नदी में नहर के पानी के प्रदूषण पर स्वप्रेरणा जांच रिपोर्ट पर आयोग को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। छठी सीख यह थी कि सिस्टम विफलताओं को अनदेखा कर देता है और साक्ष्य-आधारित शोध को नीति और कार्रवाई को प्रभावित करना चाहिए। इसलिए, हमने सिफारिश की कि वास्तविक लाभार्थियों को कार्यक्रम के परिणामों का आकलन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब आयोग ने किसानों की आत्महत्या से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जिला मुख्यालयों से संपर्क किया, तो पाया कि अन्य कानूनों की तरह, यह उनके एजेंडे में भी नहीं था।

पंजाब में जलभृतों और लवणीकरण के विस्तार का मानचित्रण करने के लिए पहली बार किए गए अध्ययन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की कार्ययोजना जैसे आयोग की और पहल धूल खा रही हैं। इसने मुझे सातवां महत्वपूर्ण सबक दिया: किसी भी सफल नीति को अपनाने के लिए, किसी को राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नेतृत्व की फिर से चुनाव जीतने और सत्ता बनाए रखने की अतृप्त इच्छा को ध्यान में रखना चाहिए।

क्या यह निराशाजनक था? हाँ। क्या यह इसके लायक था? बिल्कुल। यह रोमांचक और सचेत रूप से संतोषजनक था।

(अध्यक्ष की राय 03 दिसंबर 2024 को द ट्रिब्यून इंडिया में प्रकाशित)

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2024-26
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2024-26

प्रकाशन की तिथि : 1 जनवरी, 2025
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, जनवरी 2025

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**